



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19791

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1156/2026

राहुल मिश्रा और अन्य.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:अरविंद कुमार त्रिवेदी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. त्रिवेदी और राज्य सरकार के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को पुलिस उपमहानिरीक्षक के कार्यालय में 'अर्दली' (सेवक) के पद पर नियुक्त किया गया है, तथापि उसे कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया है।
3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय द्वितीय प्रतिवादी, पुलिस कमिश्नर, वाराणसी द्वारा किया जाएगा।
4. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त निवेदन पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, एक विस्तृत अभ्यावेदन (representation) द्वितीय प्रतिवादी, पुलिस कमिश्नर, वाराणसी के समक्ष दिनांक 12.01.2026 तक प्रस्तुत करे। तत्पश्चात्, द्वितीय प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय तीन माह की अवधि के भीतर करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

राजेश

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”